Regarding need for immediate repatriation and assistance to Indian crew stranded in UAE-Laid

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : MT SUDARSHAN पोत के कप्तान जो भारतीय नागरिक है, पिछले 18 महीनों से यूएई के हमरिया पोर्ट पर बिना वेतन, बिना पासपोर्ट और किसी कानूनी सहायता के फँसे हुए हैं । उनको अबू धाबी CID कार्यालय में 8 दिनों तक अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया, जहाँ उन्हें न ठीक से भोजन, न कोई चिकित्सा सुविधा और न ही भारतीय दूतावास से सहायता । इस बीच यहाँ उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और परिवार आर्थिक तथा मानसिक संकट से गुजर रहा है । Maritime Labour Convention, 2006 तथा विदेश मंत्रालय के समुद्री कर्मचारी सुरक्षा नियम के तहत विदेश में फँसे भारतीय समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार का दायित्व है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि विदेश मंत्रालय यूएई सरकार के समक्ष तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कप्तान सहित सभी भारतीय क्रू की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करे । उनका पासपोर्ट पुनः मिले, उनसे सीधी मुलाकात करे, और उन्हें पूर्ण कानूनी व मानविक सहयोग प्रदान करे और जहाज मालिक/एजेंट के विरुद्ध ?Seafarer Abandonment? का मामला दर्ज कर उनका लाइसेंस निलंबित किया जाए तथा उनके परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और उनकी बीमार पत्नी के लिए चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो ।